न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 24/2022
GCMS CASE NO- 2022/24

दायरा दिनांक 23.02.2022

श्रवण कुमार पुत्र श्री बालूराम जाति विश्नोई साकिन सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः– 06.04.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के प्रकरण संख्या 02/2022 अनवान सरकार बनाम श्रवण में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नं0 74/4 की 4.554 है0 अ.क. रकबा के बाबत अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानते हुए अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल को जब्त करने के आदेश दे दिये। जैर अपील रकबा वाके रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नं. 74/4 में 4.554 है0 अ.क. भूमि पर अपीलांट का सम्वत 2000 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है, जबकि अपीलांट का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा मानकर नाजायज काश्त का नोटिस दे दिया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा कोई भी शपथ पत्र पेश नहीं किया गया केवल मात्र शिकायतकर्ता के प्रार्थना–पत्र के आधार पर गलत रिपोर्ट पेश की गई, पटवारी हल्का मौका पर जांच ही नहीं की गई ना ही कोई पैमाईश व निशानदेही दी गई जबकि धारा 22 में पटवारी हल्का को रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र पेश करना आवश्यक है इसलिए भी मातहत न्यायालय का फेसला निरस्ती योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का वाके रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नं. 74/4 में 4.554 है0 अ.क. भूमि पर सम्वत 2000 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है, जबकि अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने मौका पर खडी फसल को जब्त करने के आदेश दे दिये। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जैर प्रकरण रकबा पर अपीलांट के कब्जा काश्त में रकबा काफी वर्षो से है राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4(16)कोलो./99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (ई.गान.प. आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यहक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 01.01.1996 से पूर्व लगातार 5 वर्ष से काबिज है तो उस भूमि से बेदखल नाकर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधीसूचना सं. एफ 4(16) कोलो/99 जी.एस.आर. 89 दिनांक 11.01.2000 से 5 वर्षो तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 01.01.2000 से 7 वर्षो में से किन्ही 5 वर्षो तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21 ए में डीएलसी [illegible] जमा करावाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है फिर भी मातहत अदालत ने नियमों की अनदेखी [illegible] निर्णय पारित कर दिया है जो काबिल निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 उपनिवेशन [illegible] नियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट [illegible] स्वीकार की जाकर तथा अधीनरस्थ [illegible] का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2022 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील रकबा वाके रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नं. 74/4 में 4.554 है0 अ.क. भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ में जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 17.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलांट दिनांक 19.04.2023 .....को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner